न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/72/2021	2021/217	08.10.2021	15.04.2026

1. भरतलाल पुत्र ग्यारसा, जाति मीणा, निवासी ग्राम अंगारी, तहसील थानागाजी, जिला अलवर (राज०)। (मृतक)
1/1 भगौती देवी पत्नी स्वर्गीय भरतलाल,
1/2. गंगा देवी पत्नि स्व० शिवदयाल,
1/3. नेतराम पुत्र स्व० शिवदयाल, उम्र 11 वर्ष,
1/4. चाईना पुत्री स्व० शिवदयाल, उम्र 11 वर्ष, नाबालिग जरिये सरपरस्त माता श्रीमती गंगा देवी निवासीयान ग्राम अंगारी, तहसील थानागाजी, जिला अलवर (राज०)।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. सेढ़ा पुत्र बक्शा (मृतक)
1/1. श्रीमती हीरा बेवा सेढा,
1/2. लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व० सेढ़ा, उम्र 47 साल,
1/3. छोटेलाल पुत्र स्व० सेढ़ा, उम्र 45 साल,
1/4. रामस्वरूप पुत्र स्व० सेढ़ा, उम्र 35 साल, जातियान मीणा, निवासीयान ग्राम अंगारी, तहसील थानागाजी, जिला अलवर (राज०)।
2. श्रीया पुत्र बक्शा,
3. किशन पुत्र बक्शा,
4. नाथू पुत्र शिम्भू पौत्र बक्शा,
5. रामनाथ पुत्र शिम्भू पौत्र बक्शा,
6. गंगासहाय पुत्र मुरली,
7. महेंद्र का पुत्र रामसहाय,
8. दुलीचन्द पुत्र रामसहाय,
9. श्रीमती नेहना स्त्री रामसहाय, जातियान मीणा निवासीयान ग्राम अंगारी, तहसील थानागाजी, जिला अलवर (राज०)।
10. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार थानागाजी, तहसील थानागाजी, जिला अलवर (राज०)।

—रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरुद्ध नामा0 सं0 422 निर्णय दिनांक 28.10.1997 तहसीलदार थानागाजी, जिला अलवर राज0।

उपस्थितः—

01—श्री गोविंदराम यादव —वकील अपी0
02—श्री अजीत कुमार यादव —वकील रेस्पो. 6
02—श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक —वकील रेस्पो. 10

—:निर्णयः—

वकील अपीलाण्ट ने यह अपील विरूद्ध तहसीलदार थानागाजी के निर्णय दिनांक 28.10.1997 नामान्तकरण संख्या 422 वाके ग्राम अंगारी तहसील थानागाजी स्वीकार किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी।

अति. अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आराजी साबिक खसरा नंबर 1631 रकबा 7 बीघा 1 बिस्वा वाके ग्राम अंगारी तहसील थानागाजी जिला अलवर में सिवाय चक की आराजी थी जिसमें से आराजी खसरा नंबर 1631 जिन रकबा 6 बीघा । बिसवा आराजी का आवंटन दिनांक 01.11.1977 को अलोटमेन्ट बक्शा पुत्र भुरा, ग्यारसा पुत्र भुरा, गंगासहाय पुत्र मुरली व रामसहाय पुत्र बद्री को किया गया था जिसमें से बक्शा का स्वर्गवास हो गया जिसके वारीसान रेस्पोडेन्टान संख्या 1 लगायत 5 हैं तथा रामसहाय का भी स्वर्गवास हो गया जिसके वारीसान रेस्पोडेन्टान संख्या 7 लगायत 9 हैं। साबिक खसरा नंबर 1631 रकबा 7 बीघा । बिस्वा के बन्दोबस्त विभाग में नये खसरा नंबरान 1728 रकबा 25 ऐयर व खसरा नंबर 1729 रकबा 1.53 हैक्टेयर कायम हुऐ जिसमें अलोटशुदा आराजी खसरा नंबर 1631 मिन रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा का हाल खसरा नंबर 1729 रकबा 1.53 हैक्टेयर हैं।

आराजी खसरा नंबर 1631 मिन रकबा 6 बीघा । बिस्वा के अलोटमेन्ट के पश्चात् से हीं अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टान बराबर हिस्से यानि की अपीलान्ट संख्या 1 अपने 1/4 हिस्से पर काबिज हैं तथा रेस्पोडेन्टान संख्या 1 लगायत 5 अपने 1/4 हिस्से पर, रेस्पोडेन्ट संख्या 6 अपने 1/4 हिस्से पर व रेस्पोडेन्ट संख्या 6 लगायत 9 अपने 1/4 हिस्से पर काबित हैं व काश्त करते चले आ रहें हैं और आज भी कब्जा इसी प्रकार चला आ रहा हैं तथा मौके पर अपने 2 हिस्से अलग 2 भी कर रखे हैं। तहसीलदार थानागाजी ने इंतकाल संख्यया 422 दिनांक 28.10.1997 को अलोटशुदा आराजी का इंतकाल गैरखातेदारी का खोला जिसमें अपीलान्ट के पिता का नाम दर्ज नहीं किया जबकि अलोटमेन्ट के पट्टे में भी अपीलान्ट के पिता का नाम दर्ज हैं और अपीलान्ट मौके पर आज भी इस आराजी पर काबिज हैं व काश्त कर रहा हैं।

इंतकाल संख्या 422 दिनांक 28.10.1997 को तस्दीक करते वक्त अपीलान्ट को नहीं सुना गया और अपीलान्ट की गैर मौजूदगी में यह इंतकाल खोला गया हैं जिसकी कोई जानकारी अपीलान्ट को नहीं थी तथा दिनांक 28.06.2013 को जब अपीलान्ट अपनी आराजी पर बरसात्त होने के पश्चात् बुवाई करने के लिये गया तो रेस्पोडेन्टान ने अपीलान्ट के कब्जें में मजामहत करने की कोशिश की तथा अपीलान्ट के नाम आराजी होना नहीं बताया इस पर अपीलान्ट ने रिकार्ड का अवलोकन किया तथा इंतकाल की नकल के लिये आवेदन किया जो नकल अपीलान्ट को मिली जिसकी फोटोप्रति रेस्पोडेण्ट ने अपीलाण्ट को दी जिस पर अपीलान्ट को यह जानकारी हुई कि अपीलान्ट को आराजी अलोट होने के बावजूद अपीलान्ट का इंतकाल में नाम दर्ज नहीं हैं जिस पर बाद कानूनी सलाह व पैसों के इंतजाम के बिना किसी देरी के यह अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत हैं फिर भी रफाय हुज्जत से बचने के लिये प्रार्थना–पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम अपील के साथ संलग्न हैं।

अलोटी बक्शा का स्वर्गवास हो गया हैं जिसके वारीसान रेस्पोडेन्टान संख्या 1 लगायत 5 हैं तथा राजसहाय का भी स्वर्गवास हो गया हैं जिसके वारीसान रेस्पोडेन्टान संख्या 7 लगायत 9 हैं जिन्हें अपील में पक्षकार बनाया गया हैं। अपीलान्ट के नाम आराजी अलोट होने के बावजूद तथा अलोटमेन्ट पट्टे में भी अपीलान्ट का नाम दर्ज होने के बावजूद तथा 1/4 हिस्से पर काबिज होने के बावजूद अपीलान्ट का नाम इंतकाल संख्या 422 में दर्ज नहीं किया गया जिस कारण अपील अपीलान्ट मंजूर होने योग्य हैं तथा इंतकाल संख्या 422 निरस्त कर उसमें अपीलान्ट के नाग बनी आराजी साबिक खसरा नंबर 1631 रकबा 6 बीघा में से 1/4 हिस्सा का नाम दर्ज किये जाने योग्य हैं। इंतकाल संख्या 422 वाके ग्राम अंगारी तहसील थानागाजी जिला अलवर तहसीलदार थानागाजी द्वारा तस्दीक किया गया हैं।

अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर इंतकाल संख्या 422 दिनांक 28.10.1997 वाके ग्राम अंगारी तहसील थानागाजी

अति. जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज.)

जिला अलवर निरस्त फरमाया जावें तथा अपीलान्ट के नाम आराजी साबिक खसरा नंबर 1631 रकबा 6 बीघां 1 बिस्वा में अपीलान्ट के नाम 1/4 भाग का तथा बक्शा पुत्र भुरा के नाम 1/4 भाग व गंगासहाय पुत्र मुरली के नाम 1/4 भाग व रामसहाय पुत्र बद्री के नाम से 1/4 भाग का इंतकाल खोला जावें तथा इसके पश्चात् जमाबन्दीयों में भी इसी प्रकार के इन्द्राज के आदेश प्रदान किये जावें व अन्य उचित आज्ञा जो न्याय संगत हो प्रदान की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पो० व राजकीय अभिभाषक ने सम्मिलित रूप से बहस में कथन/तर्क दिए कि अपीलांट ने तहसीलदार, थानागाजी के जिस इंतकाल संख्या 422 आदेश दिनांक 28.10.1997 को चुनौती दी है, उसके विरुद्ध यह अपील दिनांक 14.08.2013 को प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार, यह अपील लगभग 15 वर्ष और 9 माह के अत्यधिक विलंब से पेश की गई है। मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत विलंब माफी के लिए प्रत्येक दिन की देरी का 'पर्याप्त और युक्तियुक्त कारण' न्यायालय को संतुष्ट करने वाला होना चाहिए, जो कि अपीलांट के प्रार्थना–पत्र में पूर्णतः नदारद है। अपीलांट द्वारा यह तर्क देना कि उन्हें 28.10.1997 के इंतकाल की कोई जानकारी नहीं थी और उन्हें दिनांक 28.06.2013 को खेत जोतने जाने पर इसका पता चला, पूरी तरह से मनगढ़ंत, झूठी और अदालत को गुमराह करने वाली कहानी है। अपीलांट का यह कहना है कि वे 1/4 हिस्से पर लगातार काबिज हैं और काश्त कर रहे हैं। यदि यह सत्य होता, तो यह असंभव है कि पिछले 15 वर्षों में उन्होंने कभी भी अपनी कृषि भूमि की जमाबंदी की नकल नहीं निकलवाई हो, कभी कोई लगान जमा नहीं कराया हो, या किसी सरकारी योजना/बैंक लोन के लिए राजस्व रिकॉर्ड की आवश्यकता न पड़ी हो। 15 वर्षों तक अपने कथित अधिकारों पर सोते रहना अपीलांट की घोर लापरवाही को दर्शाता है। एक सुस्थापित विधिक सिद्धांत है कि कानून जागरूक लोगों की मदद करता है, अधिकारों पर सोने वालों की नहीं।

इंतकाल खोला जाना एक सार्वजनिक प्रक्रिया है। इंतकाल दर्ज करते समय गांव में पटवारी द्वारा सार्वजनिक रूप से कार्यवाही की जाती है। इतने लंबे समय तक सार्वजनिक राजस्व रिकॉर्ड में अपीलांट का नाम नहीं होने के बावजूद उनकी यह दलील कि 'उन्हें सुना नहीं गया', न्यायिक प्रक्रिया का मज़ाक बनाने के समान है। पिछले 15 वर्षों से अधिक समय से विवादित आराजी रेस्पोंडेंट्स के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

अपीलांट द्वारा मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में 15 साल के भारी-विलंब का कोई भी वैधानिक, तार्किक या युक्तियुक्त कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। अपीलांट का प्रार्थना–पत्र केवल कपोल–कल्पित कहानियों पर आधारित है। अतः श्रीमान् निवेदन है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना–पत्र बलहीन होने के कारण नामंजूर किया जावे। चूँकि यह अपील भारी मियाद के बाहर है, इसलिए अपील को भी प्रारंभिक स्तर पर ही सव्यय खारिज फरमाने की कृपा करें।

हमने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं एवं राजकीय अभिभाषक की बहस विस्तारपूर्वक सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, अधीनस्थ न्यायालय के रिकॉर्ड एवं प्रस्तुत तर्कों का गहनता से अनुशीलन किया गया। यह अपील अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार थानागाजी के आदेश/नामान्तरकरण संख्या 422 दिनांक 28.10.1997 के विरुद्ध दिनांक 14.08.2013 को प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार, प्रथम दृष्टया यह अपील लगभग 15 वर्ष और 9 माह के विलंब से पेश की गई है। अपीलान्ट द्वारा मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत विलंब माफी हेतु जो प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है, उसमें देरी का एकमात्र कारण यह बताया गया है कि उन्हें 1997 के इंतकाल की जानकारी नहीं थी और दिनांक 28.06.2013 को जब वे अपनी आराजी पर बुवाई करने गए, तब रेस्पोडेण्ट/प्रत्यर्थियों ने मजामहत/अवरोध पैदा किया, जिससे उन्हें इसकी जानकारी हुई। न्यायिक एवं विधिक दृष्टिकोण से 15 वर्षों के इतने

लंबे अंतराल तक अपने कथित अधिकारों के प्रति निष्क्रिय रहना और राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी/गिरदावरी) का कोई अवलोकन न करना अपीलान्ट की घोर लापरवाही को प्रदर्शित करता है। सुस्थापित विधिक सिद्धांत है कि 'कानून जागरूक लोगों की सहायता करता है, अधिकारों पर-सोने वालों की नहीं'। यदि अपीलान्ट वास्तव में मौके पर काबिज और काश्तकार होते, तो यह असंभव है कि इतने वर्षों में उन्हें लगान जमा कराने, कृषि ऋण लेने या अन्य किसी सरकारी कार्य हेतु राजस्व रिकॉर्ड की आवश्यकता ही न पड़ी हो। विलंब को क्षमा करने हेतु प्रत्येक दिन की देरी का 'पर्याप्त और युक्तियुक्त कारण' होना अनिवार्य है, जो इस पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

पत्रावली के गहन अवलोकन से मामले के गुण–दोष पर भी कई गंभीर विरोधाभास प्रकट होते हैं। जिस आवंटन पत्र के आधार पर अपीलान्ट अपील प्रस्तुत कर रहे हैं, उसकी सत्यता प्रमाणित प्रति नहीं होने से संदिग्ध प्रतीत होती है। पत्रावली पर उपलब्ध छायाप्रति आवंटन दिनांक 01.11.1977 का है, जबकि इसका इंतकाल लगभग 20 वर्ष पश्चात् दिनांक 28.10.1997 में दर्ज किया गया। राजस्थान भूमि राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के अनुसार आवंटन के पश्चात् आवंटी को मौके पर दखल (कब्जा) सुपुर्द किया जाना आवश्यक है। पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि अपीलान्ट के पिता को मौके पर कभी कब्जा दिया गया था। अपीलान्ट का यह कथन कि वे 2013 में जब काश्त करने गए तब प्रत्यर्थियों ने अवरोध पैदा किया, स्वयं उनके उस दावे का खंडन करता है जिसमें वे लगातार 1/4 हिस्से पर काबिज होने की बात कह रहे हैं। यदि वे निरंतर काश्त कर रहे होते, तो 2013 में 'काश्त करने जाने' और 'अवरोध उत्पन्न होने' का प्रश्न ही नहीं उठता। यह स्पष्ट इंगित करता है कि अपीलान्ट का पूर्व में मौके पर कब्जा व काश्त नहीं थी। जबकि आवंटन नियमों की अनिवार्य शर्तों के अनुसार आवंटी को आवंटन के प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भाग पर तथा अगले वर्ष शेष भाग पर काश्त करनी होती है। अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील बलहीन एवं आधारहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील बलहीन, आधारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। विलंब माफी का प्रार्थना–पत्र खारिज होने के परिणामस्वरूप, अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील अत्यधिक मियाद के बाहर होने तथा गुण–दोषों के आधार पर भी सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 15.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)